

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

अज्ञाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 163]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 13, 1972/आषाढ 22, 1894

No. 163]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 13, 1972/ASADHA 22, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 13th July 1972

SUBJECT.—Import Policy for Registered Exporters for the year 1972-73 (Amendment No. 10)

No. 100—ITC (PN)/72.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in the Import Trade Control Policy Book (Vol. II) for the year April 1972— March 1973 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 47-ITC (PN)/72 dated 3-4-72.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

Pages No. of the Red Book (Vol. II)	Reference	Amendment
1. 144-145	L. 2. 1, L. 2. 2, L. 2. 4, L. 3. 1 and L. 3. 2 Col. 4	For entry (a) against these serial numbers, the following may be substituted:— “(a) Raw wool/Wool tops/waste wool/shoddy wool/acrylic fibre/dyed acrylic yarn of 7 to 48 S. (Atleast 8 per cent of replenishment must be utilised for acrylic fibre/dyed acrylic yarn of 7 to 48 S).”
2. 144	L. 2. 3 Col. 1. 4	For entry (a), the following may be substituted:— “(a) Waste wool/shoddy wool/acrylic fibre/ dyed acrylic yarn of 7 to 48 S. (Atleast 8 per cent of import replenishment must be utilised for acrylic fibre/dyed acrylic yarn of 7 to 48 S).”
3. 145	L. 3. 3. Col. 4	For entry (a), the following may be substituted:— “(a) Waste wool/acrylic fibre/dyed acrylic yarn of 7 to 48 S. (Atleast 8 per cent of import replenishment must be utilised for acrylic fibre/dyed acrylic yarn of 7 to 48 S).”

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1972

विषय:—अप्रैल, 1972-मार्च, 1973 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या : 10)

संख्या 100-आई०डी० सी० (पीएन)/72.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 47-आईटीसी(पीएन)/72. दिनांक 3-4-1972 के अन्तर्गत अप्रैल, 1972-मार्च, 1973 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (वा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निविष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जायें :—

रेडबुक (वा० 2) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
1	2	3
1. 144-145	एल. 2. 1, एल. 2. 2, एल. 2. 4, एल. 3. 1 और एल. 3. 2 कालम-4.	इन क्रम संख्याओं के सामने की प्रविष्टि (ए) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए :— “(ए) 7 से 48 एस० के कच्चा ऊन/ऊन ऊन टाप्स/रही ऊन/शोड़ी ऊन/एकाइलिक पाइवर/डाइड एकाइलिक यार्न (7 से 48 एस० तक के एकाइलिक फाइबर/

1	2	3
		डाइड एक्राइलिक यार्न के लिए प्रतिपूर्ति का कम से कम 8 प्रतिशत तक उपयोग अवश्य होना चाहिए) ।”
22-144	एल. 2. 3 । कालम-4.	प्रविष्टि (ए) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए :— “(ए) 7 से 48 एस० के रद्दी ऊन/शोडी ऊन/एक्राइलिक फाइबर/डाइड एक्राइलिक यार्न (7 से 48 एस० तक के एक्राइलिक फाइबर/डाइड एक्राइलिक यार्न के लिए प्रतिपूर्ति का कम से कम 8 प्रतिशत तक उपयोग अवश्य होना चाहिए) ।”
22-145	एल. 3. 3 । कालम-4.	प्रविष्टि (ए) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए :— “(ए) 7 से 48 एस० तक के रद्दी ऊन/एक्राइलिक फाइबर/डाइड एक्राइलिक यार्न (7 से 48 एस० तक के एक्राइलिक फाइबर/डाइड एक्राइलिक यार्न के लिए प्रतिपूर्ति का कम से कम 8 प्रतिशत तक उपयोग अवश्य होना चाहिए) ।” ।

SUPPLY.—Import Policy for Registered Exporters for the year 1972-73 (Amendment No. 11)

No. 101-ITC (PN)/72.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in the Import Trade Control Policy Book (Vol. II) for the period April 72—March 1973 issued by the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 47-ITC (PN)/72 dated 3-4-1972.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

Page No. of the Red Book (Vol. II)	Reference	Amendment
135-136	O. I. 2, O. I. 3 and O. I. 4 Col. 4	The existing entry at (f) in column 4 may be substituted by the following :— “(f) Raw wool/waste wool/shoddy wool/wool tops. (See general note 2).”

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विषय.—अप्रैल, 1972-मार्च, 1973 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या : 11)

संख्या 101-आइ०टी०सी० (पीएन)/72.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 47-आइटीसी (पीएन)/72, दिनांक 3-4-1972 के अन्तर्गत अप्रैल, 1972-मार्च, 1973 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुरतक (बा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निदिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जायें :—

रैंड बुक (बा० 2) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
151-152	ओ० 1.2, ओ० 1.3 और ओ० 1.4. कालम-4.	कालम 4 में (एफ) पर की वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :— “(एफ) कच्चा ऊन/रही ऊन/शोड़ी ऊन/ ऊन टाप्स (सामान्य नोट 2 देखें) ।”

एच० एम० सेन,
मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात ।